न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– जीतू कुलहरी आर.ए.एस.
अनवान :– विविध प्रकारण संख्या 16/2024

1. श्रीमती सुरजीत कौर पत्नी श्री गुरदयाल राम जाति बावरी निवासी वार्ड नम्बर 7 रायसिंहनगर जिला अनूपगढ (राजस्थान) ।
2. गोविन्दा उर्फ गोविन्द राम पुत्र श्री इन्द्र जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. जगेन्द्र उर्फ जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री इन्द्र जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. जीतराम पुत्र श्री राम सिंह जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. बिरमा पुत्र श्री भजना राम जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. श्रीमती मलकीत कौर पत्नी श्री बाबू राम जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।
2. श्रीराम पुत्र श्री प्रताप सिंह जाति बावरी निवासी 5 पी बड़ी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
3. सोनू राम पुत्र श्रीराम जाति बावरी निवासी 5 पी बड़ी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
4. गुरदयाल सिंह पुत्र श्री हरी सिंह जाति बावरी निवासी कोनी तहसील व जिला श्रीगंगानगर
5. नानकी उर्फ मीरां पुत्री श्री हरी सिंह पत्नी श्री लालू राम जाति बावरी निवासी हाकमाबाद तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर ।
6. कृष्ण लाल पुत्र श्री नत्था राम जाति बावरी निवासी चक 4 पी बड़ी ढाणी (कोनी) तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
7. सरजीत पुत्र श्री नत्था राम जाति बावरी निवासी चक 4 पी बड़ी ढाणी (कोनी) तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्य
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर ।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत :– अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री संजय जनवेजा — प्रार्थी
2. प्रार्थी श्रीराम स्वयं — अप्रार्थी 2
3. पैरोकार राज — अप्रार्थी 8

अप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

–:: निर्णय::–

दिनांक :– 31.07.2024

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि चक 4 पी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/49(मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2073–2076) के मुरब्बा नम्बर 29, व मुरब्बा नम्बर 35 की कुल 9.361 हैक्टेयर नहरी मय खाला कृषि भूमि में से सुरजीत कौर के नाम से 1170/9361 हिस्सा, गोविन्दा के नाम से 142/851 हिस्सा, जगेन्द्र के नाम से 380/9361 हिस्सा, जीतराम के नाम से 313/9361 हिस्सा, बिरमा के नाम से 142851 हिस्सा कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीगण का पेशा खेती है तथा उक्त भूमि प्रार्थीगण स्वंय काश्त करते है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थीगण का पता वही है, जो कि प्रार्थना–पत्र के शीर्षक में अंकित है। प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में मुरब्बा नम्बर 29 की कृषि भूमि है। उक्त मुरब्बा नम्बर 29 की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई वैकल्पिक अथवा स्वीकृ तशुदा रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण चक 4 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 26 व 27 में स्वीकृत रास्ता से होकर मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 25, 24, 23, 22 व 21 की दक्षिणी दिशा से होकर अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 29 में प्रवेश करतें हैं । उक्त मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 का . रकबा अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 मलकीत कौर, श्रीराम, सोनू राम, गुरदयाल सिंह, नानकी उर्फ मीरां के नाम से, अप्रार्थीगण संख्या 6, 7 के पिता श्री नत्था राम पुत्र श्री बगू राम के नाम से तथा अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 की माता श्रीमती पंजाब कौर पत्नी श्री हरी सिंह के नाम से खातेदारी होने के कारण वह प्रार्थीगण के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते हैं। जबकि प्रार्थीगण की कृषि भूमि में पहुंचने व कृषि औजार के परिवहन का एकमात्र रास्ता यही है। इसके अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण से इस रास्ता को स्वीकृत करवाने के लिए कई बार कहा गया है, मगर वह हमेशा टाल–मटोल करते रहे, मगर अब दिनांक 10.01.2024 को अप्रार्थीगण से रास्ता स्वीकृत करवाने की मांग की तो उन्होने सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाने से साफ इन्कार कर दिया। प्रार्थीगण के पास अपने रकबा में आने जाने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक अथवा स्वीकृत रास्ता नहीं है, प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने–जाने व कृषि कार्य करने के लिए रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को डी एल सी दर के अनुसार दोगुना राशि बतौर क्षतिपुर्ति अदा करने के लिए तैयार है । खातेदार नत्था राम पुत्र श्री बगू राम का देहान्त हो चुका इसलिए उनके वारिसान को अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 के रूप में संयोजित किया गया है। खातेदार पंजाब कौर पत्नी श्री हरी सिंह का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को उनके रकबा में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण के रकबा चक 4 पी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 की दक्षिण दिशा में (पूर्व से पश्चिम) 0.026 है0– 0.026 है0 कुल 0.130 है० रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:26 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब अप्रार्थी संख्या 2 बन्द किया गया।

तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं जमाबंदी का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 का जवाब बंद किया जा चुका है एवं अप्रार्थी संख्या 1, 3 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राज.काश्त. अधि. में वैकल्पिक रास्ते के अभाव एवं रास्ते की आतयन्तिक आवश्यकता के बिन्दु पर विचार किया जाता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते का अभाव है। प्रार्थीगण को उसकी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायालय न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश::–

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 पी बड़ी, पटवार हल्का कोनी, भू.अ.नि. दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/49 (मुताबिक जमाबंदी) के मुरबा नम्बर 29 के लिए अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए चक 4 पी बडी पटवार हल्का कोनी, भू.अ.नि. दौलतपुरा खाता संख्या 70/93 के मुरब्बा नम्बर 28 के किला नम्बर 21 ता 25 में प्रत्येक किला में दक्षिण दिशा में (पूर्व से पश्चिम) 0.026–0.026 है0 कुल 0.130 है० रकबा बतौर गैरमुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रहेगा।

रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि तहसीलदार जिसकी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया गया है उसको अपने स्तर से वितरित करेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक 31.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.09.11 15:38:26 IST
Reason: SelfAttested

31/07/24

(जीतू कुलहरी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर